

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, बुण्डू (राँची)

RM वाद संख्या -30/2021-22

छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b

राजेन्द्र महतो बनाम विभा कुमारी

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

विक्रेता का नाम एवं पता -

राजेन्द्र महतो पिता-स्व० मगजी महतो, ग्राम-ताउ (बालाडींग) पो०-बुण्डू, थाना-बुण्डू, जिला-राँची, झारखण्ड, जाति-कुर्मी, पेशा-खेती।

क्रेता का नाम एवं पता -

विभा कुमारी पति-श्रीकान्त कुमार महतो, ग्राम-सताकी टोला, कुलकुटांड, पो०-सताकी, अंचल-राहे, थाना-अनगड़ा, जिला-राँची, झारखण्ड, जाति-कुर्मी, पेशा-गृहिणी।

विद्वान अधिवक्ता का नाम -

श्री रामचरण महतो।

विक्रेता द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक-25/06/2021 को आवेदन देकर छो० का० अधिनियम 1908 की धारा-46(i)b के तहत क्रेता विभा कुमारी पति-श्रीकान्त कुमार महतो, ग्राम-सताकी टोला, कुलकुटांड, पो०-सताकी, अंचल-राहे, थाना-अनगड़ा, जिला-राँची, झारखण्ड, जाति-कुर्मी, पेशा-गृहिणी, के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति माँगी है:-

भूमि की विवरणी

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा
मधुकमा	बुण्डू/61	29	182	10 डी० <u>चौहद्दी:-</u> उ०-सम्बत महतो। द०-नन्द किशोर महतो। पू०-प्रस्तावित रास्ता (12 फीट चौड़ा)। प०-घासी महतो।

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, बुण्डू से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार भी निर्गत किया गया है।



अंचल अधिकारी, बुण्डू का पत्रांक-537(ii) दिनांक-02/09/2021 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो कि निम्नवत है।

- (1) विक्रेता के पास रकबा-3.45 ए० भूमि है।
- (2) प्रस्तावित जमीन बिक्री करने के पश्चात विक्रेता के पास रकबा-3.35 ए० भूमि बचती है।
- (3) विक्रेता प्रस्तावित जमीन को घरेलु आवश्यक कार्य हेतु बिक्री कर रहा है।
- (4) विक्रेता खतियानी रैयत के पोता लगते हैं।
- (5) खतियान के आधार जमाबंदी कायम है।
- (6) प्रस्तावित जमीन पर वर्तमान में क्रेता का दखल कब्जा है।
- (7) विक्रेता बुण्डू थाना एवं क्रेता अनगड़ा थाना क्षेत्र के निवासी है।
- (8) क्रेता एवं विक्रेता दोनो कुरमी जाति के सदस्य है।
- (9) प्रस्तावित जमीन का सरकारी रसीद कमल महतो वल्द सम्बत महतो के नाम से निर्गत है।
- (10) प्रस्तावित जमीन परती कदीम श्रेणी की है।
- (11) प्रस्तावित भूमि भू हदबंदी, भू-अर्जन, गैरमजरुआ खस, वन, जंगल, झाड़ी, श्मशान, गोचर, नदी, नाला, कब्रस्तान एवं धार्मिक स्थल से बाहर है।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, बुण्डू ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46(i)b के तहत विक्रेता राजेन्द्र महतो पिता-स्व० मगजी महतो, ग्राम-ताउ (बालाडींग) पो०-बुण्डू, थाना-बुण्डू, जिला-राँची, झारखण्ड, जाति-कुर्मी, पेशा-खेती, को क्रेता विभा कुमारी पति-श्रीकान्त कुमार महतो, ग्राम-सताकी टोला, कुलकुटांड, पो०-सताकी, अंचल-राहे, थाना-अनगड़ा, जिला-राँची, झारखण्ड, जाति-कुर्मी, पेशा-गृहिणी, के हाथों प्रस्तावित भूमि के बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

इस न्यायालय के द्वारा दिनांक-04/08/2021 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन संबंधित अंचल कार्यालय से प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नहीं की है।


अतः अंचल अधिकारी, बुण्डू के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित भूमि की विक्रेता राजेन्द्र महतो पिता-स्व० मगजी महतो, ग्राम-ताउ (बालाडींग) पो०-बुण्डू, थाना-बुण्डू, जिला-राँची, झारखण्ड, जाति-कुर्मी, पेशा-खेती, को क्रेता विभा कुमारी पति-श्रीकान्त कुमार महतो, ग्राम-सताकी टोला, कुलकुटांड, पो०-सताकी, अंचल-राहे, थाना-अनगड़ा, जिला-राँची, झारखण्ड, जाति-कुर्मी, पेशा-गृहिणी, के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 धारा-46(i)b के तहत दी जाती है।


तथा अवर निबंधक, बुण्डू/जिला अवर निबंधक, राँची को आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगे।

### भूमि का विवरण

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
मधुकमा	बुण्डू/61	29	182	10 डी० <u>चौहददी:-</u> उ०-सम्बत महतो। द०-नन्द किशोर महतो। पू०-प्रस्तावित रास्ता (12 फीट चौड़ा)। प०-घासी महतो।

लेखापित एवं संशोधित।

  
भूमि सुधार उप समाहर्ता।  
बुण्डू (राँची)।

  
भूमि सुधार उप समाहर्ता।  
बुण्डू (राँची)।